RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11841/2026
URN: CW / 26190U / 2026

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Mohak Raj Purohit S/o Alkesh Kumar, Aged About 6 Years, R/o 44, Sita Ram Colony, Ram Nagar Extension, Jaipur Being A Minor Through Father Alkesh Kumar S/o Ganesh Ram Purohit, Aged About 35 Years, R/o 44, Sita Ram Colony, Ram Nagar Extension, Jaipur (Rajasthan)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Secretary To Govt Of Rajasthan, Department Of School Education, Govt Secretariat Jaipur 302001
2. Director, Department Of Secondary School Education, Govt Of Rajasthan, Samta Nagar, Bikaner-334001
3. Chief Block Education Officer, Block Jaipur West, Behind Maharani College, Jaipur
4. The Principal, Warren Academy School, 45-46, Saini Colony Rd, Extension, Balaji Vihar, Kartarpur, Gopal Pura Mode, Jaipur, Rajasthan 302015

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Akshay Bhardwaj with Mr. Ayush Agarwal
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

20/07/2026

याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया और अपना प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.03.2026 को जमा कराया। उसके द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, जिनमें उसने निवास के संबंध में अपने पिता का किरायानामा और सिरोही का

(Uploaded on 21/07/2026 at 05:01:17 PM)
(Downloaded on 21/07/2026 at 06:02:35 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था। मूल निवास प्रमाण–पत्र, जो पिंडवाड़ा सिरोही का था, निरस्त कर दिया गया और उसके उपरांत उसका आधार–कार्ड, जो कि किराएनामे में अंकित पते का ही बना हुआ है, याची द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके सभी दस्तावेज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए, जो कि दिनांक 22.04.2026 के पत्र से जाहिर है। याची को लॉटरी के अनुसार अयाची संख्या 04 स्कूल में प्रवेश हेतु पात्र माना गया। उनका तर्क है कि संपूर्ण वांछित अर्हताएं रखने के उपरांत भी और उसके सभी दस्तावेज, जिनमें निवास संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किए जाने के उपरांत भी अयाची संख्या 4 स्कूल उसे अपने विद्यालय में प्रवेश नहीं दे रहा है और शिक्षा अर्जित करने का अवसर नहीं दे रहा है। उनका तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी हैं जिनका उल्लेख विज्ञापन में भी किया गया था। इन दिशा निर्देशों में प्रवेश स्तरीय कक्षा में प्रवेश की पात्रता के लिए जो शर्तें हैं, उनमें शर्त संख्या 2.4 में बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में बालक का आधार कार्ड एवं अभिभावकों का आधार कार्ड मान्य किया गया है। उनका तर्क है कि उनके द्वारा बालक और पिता दोनों का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि दस्तावेजों के सत्यापन का अधिकर केवल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ही प्राप्त है तथा अयाची संख्या–4 विद्यालय को इसका अधिकार नहीं है। उनका तर्क है कि अयाची संख्या–4 विद्यालय का याचिकाकार को प्रवेश नहीं देने का कृत्य सर्वथा विधि विरूद्ध है।

उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किए हैंः–

1. लखनऊ पब्लिक स्कूल एवं अन्य–बनाम–उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
   2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 723 आदेश दिनांक 28.04.2026
2. मास्टर दैविक रंगवानी–बनाम–राजस्थान राज्य एवं अन्य
   एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8802/2025 आदेश दिनांक 03.09.2025
3. भगवान पुरी गोस्वामी–बनाम–राजस्थान राज्य
   एकपलीठ सिविल रिट याचिका संख्या 10537/2024 आदेश दिनांक 02.09.2024

(Uploaded on 21/07/2026 at 05:01:17 PM)
(Downloaded on 21/07/2026 at 06:02:35 PM)

उनका तर्क है कि उक्त विनिश्चयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विद्याथियों को विद्यालय में प्रवेश देने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें।

विचार किया गया। पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का भी ससम्मान अध्ययन किया गया।

अयाचीगण को **चार सप्ताह में वापसी योग्य** नोटिस जारी हों।

याची इस हेतु आदेशिका शुल्क एवं अतिरिक्त प्रति पेश करें।

अंतरिम अनुतोष की प्रार्थना पर सुना गयां

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विद्यालयों में प्रवेश होकर अध्ययन का कार्य आरम्भ हो चुका है। ऐसी स्थिति में अयाची संख्या–4 विद्यालय को निर्देशित किया जावे कि वे याचिकाकार को अपने विद्यालय में प्रवेश दें और उन्हें अध्ययन करने दें।

विचार किया गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आगामी तिथि तक इस आशय का अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है कि अयाची संख्या–4 विद्यालय याचिकाकार को अपने विद्यालय में अनंतिम तौर (Provisionally) पर प्रवेश दे एवं उसके विद्यालय में उसे अध्ययन करने से वंचित नहीं करे।

(SHUBHA MEHTA),J

26/NIMIT GOYAL/753

(Uploaded on 21/07/2026 at 05:01:17 PM)
(Downloaded on 21/07/2026 at 06:02:35 PM)